

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(1)न्याय/19


जयपुर, दिनांक: 21-1-2020

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नांकित अधिकारी/कर्मचारियों को अपने पद के कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सम्मुख अंकित विभागों के रिक्त पदों का अग्रिम आदेशों तक कार्य सम्पादित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है:-


क्र. सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	वर्तमान पदस्थापन स्थान	अतिरिक्त कार्य संपादन करने का स्थान/विभाग	विशेष विवरण
1.	तरुण कुमार दाधीच, वरिष्ठ विधि अधिकारी	वरिष्ठ विधि अधिकारी संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) कोटा संभाग कोटा	सहायक विधि परामर्शी, नगर निगम कोटा	रिक्त पद
2.	महेन्द्र कुमार सैनी कनिष्ठ विधि अधिकारी	वरिष्ठ विधि अधिकारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, कार्यालय, चूरु	वरिष्ठ विधि अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) चूरु संभाग चूरु	रिक्त पद
3.	रूप बसंत शर्मा, सहायक विधि परामर्शी	सहायक विधि परामर्शी, नगर परिषद, अलवर	सहायक विधि परामर्शी, नगर विकास न्यास, अलवर	रिक्त पद

श्री तरुण दाधीच, वरिष्ठ विधि अधिकारी को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24.10.2019 के द्वारा दिया गया वरिष्ठ विधि अधिकारी, तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के अतिरिक्त कार्यभार का आदेश निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से

21-1-2020
(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग।
4. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अतिरिक्त कार्य के स्थान पर कार्यग्रहण कर रिपोर्ट इस विभाग को अविलम्ब भिजवाये।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


21-1-2020

संयुक्त शासन सचिव